

6 3
24

वकील वादी उपस्थित नहीं। वादी
स्वयं भी उपस्थित नहीं। वादी की तरफ
से कोई अन्य कौचवक्ता भी उपस्थित नहीं
इन्की अनुपस्थिती बाबत कोई कारण भी
पेश नहीं हुआ। बार-बार कोवाप लग-
वाये गये। फलतः यह वाद पत्र फदम
पैरवी फदम हाजरी में खारिज किया
जाता है।

पत्रावली निर्णय में सुमार की जाकर
नाम्बर से काम हो तथा तारीख तकमिल
होकर दायिल दफतर हो।